

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2800]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 17, 2013/अग्रहायण 26, 1935

No. 2800]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 17, 2013/ AGRAHAYANA 26, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3689(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान जोनल-जे के लिए जोनल प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 8 मई, 2013 सं. का.आ. 1167(अ) का सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए ।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान—2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

जोन जी में रघुबीर नगर में 3.64 हेक्टेयर क्षेत्र का भू-उपयोग निम्नलिखित विवरणानुसार परिवर्तित किया जाता है :—

स्थान	क्षेत्र	दि.मु.यो.-2021 के अनुसार भूमि उपयोग	भूमि उपयोग निम्नलिखित में परिवर्तित	सीमाएं
3.64 हेक्टेयर (9.0 एकड़) क्षेत्र, गुरु गोबिन्द सिंह अस्पताल, एफ ब्लॉक, रघुबीर नगर के सामने जोन 'जी'	3.64 हेक्टेयर (9.0 एकड़)	"आवासीय"	सरकारी (एकीकृत कार्यालय परिसर)	उत्तर: 30 मीटर मार्गधिकार, रघुबीर नगर पूर्व: टैगोर गार्डन, डी.डी.ए. फ्लैट्स पश्चिम: रघुबीर नगर आवासीय क्षेत्र दक्षिण: खाली भूमि

[सं. के-13011/14/2013-डीडी-1]

सुनील कुमार, अवर सचिव,

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION New Delhi, the 17th December, 2013

S.O. 3689(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* S.O. No. 1167(E) dated 8th May, 2013 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

- Whereas no objections/suggestions were received with regard to the proposed modifications, and
- Whereas, the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan of Delhi 2021.
- Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of the following area measuring 3.64 ha. at Raghbir Nagar in Zone-G is changed as per the description listed below:

Location	Area	Land use as per MPD 2021	Land use changed to	Boundaries
Area measuring 3.64 ha (9.0 acres) opposite Guru Gobind Singh Hospital, F-Block, Raghbir Nagar, Zone-G	3.64 ha (9.0 acre)	'Residential'	'Government (Integrated Office Complex)'	North: 30 m R/W, Raghbir Nagar East: Tagore Garden DDA Flats West: Raghbir Nagar Residential area South: Vacant Land

[No. K-13011/14/2013-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.